न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

पीठासीन अधिकारी	-	**श्री शारिक हुसैन, आर०जे०एस०**
फौ०नि०प्रकरण संख्या	-	**533/2018**
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.	-	**62/2018,**
पुलिस थाना	-	**दांगीपुरा**
सी.एन.आर. नम्बर	-	RJJW180003932018

सरकार

अभियोगी...

बनाम

1. **राजाराम पुत्र रंगलाल उम्र 29 वर्ष निवासी पातला पानी पुलिस थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ (राज.)**
2. रंगलाल पुत्र गोपीलाल, **(फौत कार्यवाही ड्रोप दिनांक 20.12.2023)**
3. चैनसिंह पुत्र गोपीलाल, **(फौत कार्यवाही ड्रोप दिनांक 15.01.2022)**

निवासीगण पातला पानी पुलिस थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ (राज.)

अभियुक्त...

अपराध अन्तर्गत धारा 435, 385/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः-

1- अभियोजन अधिकारी, अनुपस्थित।

2- श्री गजेन्द्र गौतम, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

-:निर्णय:- **दिनांक-09.03.2026**

घटना की दिनांक	22.04.2018
प्रथम सूचना की दिनांक	22.04.2018
अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने की दिनांक	05.07.2018
आरोप विरचन की दिनांक	23.03.2022
साक्ष्य आरंभ होने की दिनांक	23.03.2022
निर्णय की दिनांक	09.03.2026
निर्णय	दोषमुक्त

01. थानाधिकारी पुलिस थाना, दांगीपुरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 435, 384, 427/34 का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्तगण राजाराम, रंगलाल व चैनसिंह के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05.07.2018 को पेश किया गया।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.04.2018 को परिवादी लालसिंह ने पुलिस थाना दांगीपुरा में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह ग्राम राजपुरा का रहने वाला है। उसकी लडकी राजूबाई की सगाई पातलापानी के राजाराम पुत्र रंगलाल तंवर के साथ आज से लगभग 7-8 साल पहले कराई थी तथा यह सगाई चैनसिंह ने कराई थी। चैनसिंह ने उसकी लडकी की सगाई उसके लडके पप्पूलाल से की थी। फिर चैनसिंह ने उसकी लडकी की शादी कही दूसरी जगह कर दी। तब उसने भी यह रिश्ता तोड दिया और उसकी लडकी राजूबाई की सगाई ज्ञानसिंह पुत्र बापूलाल तंवर निवासी छूवाडिया से कर दी। इस बात का पता जब राजाराम, रंगलाल व उसके परिवारजनों को लगा तो उन्होने उसके गांव में कागज दे दिया तथा गांव के मोरसिंह के घास व सुखले, देवचन्द के कडब व चारा, मांगीलाल के कन्डा व घास, बापूलाल के घास व सुखला, राम प्रसाद के लकडियां, मांगीलाल के कन्डा व घास, हरलाल के सुखला तथा लालसिंह के लकडिया में आग लगा दी। यह आग राजाराम, रंगलाल, चेनसिंह, लालसिंह, रायसिंह, मांगीलाल ने लगाई है तथा इन सभी को आग लगाकर भागते हुए भी उसने व उसके गांव वालो ने पहचान लिया था। उन्होने पकडने इनका पीछा किया तो वो भाग गये तथा भागते हुये कह गये कि वे नौ लाख रूपये झगडा के लेंगे जब तक झगडे का फैसला नही करेगा तब तक पुरे गांव में ऐसे ही आग लगते रहेंगे। उसे डरा धमका कर उसकी लडकी राजूबाई का झगडा लेना चाह रहे है तथा इसी बात को लेकर उसके गांव में लगातार आगजनी कर रहे है तथा गांव वालो का बहुत ही नुकसान कर दिया, इत्यादि।

03. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, दांगीपुरा में मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 62/2018, अन्तर्गत धारा 435, 384, 427, 143 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान मुलजिमान राजाराम, रंगलाल व चैनसिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 435, 384, 427/34 भा.दं.सं. में आरोप-पत्र पेश न्यायालय किया गया। जिसपर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 435, 384, 427/34 भा.दं.सं. में अपराध के आरोपों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. बहस चार्ज सुनी तथा अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 435, 385/34 भा.दं.सं. का अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन, समझ कर अभियुक्त द्वारा इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है-

अभियोजन साक्षी क्रमांक	**साक्ष्य की प्रकृति**
01. भंवरलाल	अनुसंधान अधिकारी
02. हरलाल	चश्मदीद साक्षी
03. लालसिंह	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना
04. रामप्रसाद	चश्मदीद साक्षी
05. बापूलाल	चश्मदीद साक्षी
06. देवचंद	चश्मदीद साक्षी
07. बापूलाल	फर्द नक्शामौका
08. मांगीलाल	फर्द नक्शामौका

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है-

प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेजात का विवरण	साबित करने वाले साक्षी
प्रदर्श पी01	तहरीरी रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 1,3
प्रदर्श पी02	चाक एफआईआर	साक्षी क्रमांक 1,3
प्रदर्श पी03	नक्शामौका	साक्षी क्रमांक 1,3,7
प्रदर्श पी04	नक्शामौका	साक्षी क्रमांक 1,3,7
प्रदर्श पी05	फोटोग्राफ्स	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी06	फोटोग्राफ्स	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी07	फोटोग्राफ्स	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी08	फोटोग्राफ्स	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी09	फोटोग्राफ्स	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी10	फोटोग्राफ्स	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी11	फोटोग्राफ्स	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी12	फोटोग्राफ्स	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी13	फोटोग्राफ्स	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी14	फोटोग्राफ्स	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी15	गवाह हरलाल के धारा 161 द.प्र.सं. के बयान	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी16	गवाह लालसिंह के धारा 161 द.प्र.सं. के बयान	साक्षी क्रमांक 3
प्रदर्श पी17	गवाह रामप्रसाद के धारा 161 द.प्र.सं. के बयान	साक्षी क्रमांक 4
प्रदर्श पी18	गवाह बापूलाल के धारा 161 द.प्र.सं. के बयान	साक्षी क्रमांक 5
प्रदर्श पी19	गवाह देवचंद के धारा 161 द.प्र.सं. के बयान	साक्षी क्रमांक 6

06. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्त राजाराम को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा एवं स्वयं को निर्दोष होना तथा आपस में राजीनामा होना अभिकथित किया।

07. प्रकरण टारगेट पत्रावली है, जिससे अभियोजन अधिकारी की अनुपस्थिति में प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होने से बहस अन्तिम सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

08. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। स्वयं परिवादी एवं महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः संदेह का लाभ दिया जाकर अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

09. अधिवक्ता अभियुक्त के तर्को पर मनन किया गया तथा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारणार्थ मुख्य रूप से अवधारणीय प्रश्न ये है किः-

> **''1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.04.2018 को रात्रि 11-12 बजे के लगभग माल/मौजा राजपुरा में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी लालसिंह को उद्दापन कारित करने के लिए झगडा राशि नौ लाख रूपये की मांग की धमकी देकर क्षति पहुंचाने के भय में डाला एवं परिवादी के गांव वालों के घास, सुखले, कन्डे, लकडियों आदि में आग लगाकर नुकसान कारित करने के आशय से सौ रूपये या उससे अधिक की रिष्टि कारित की?**

10. आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को उसकी कहानी अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध एवं प्रमाणित करना होता है। उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 08 गवाहान को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया। हस्तगत प्रकरण में परिवादी लालसिंह न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 03 के रूप में परीक्षित हुआ है।

11. परिवादी पी.ड.03 लालसिंह ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ कथनों में बताया कि उसकी लडकी राजुबाई की सगाई राजाराम के साथ की थी तथा चैनसिंह ने उसकी लडकी की सगाई उसके लडके पप्पुलाल के साथ की थी। बाद में उनके रिश्ता बिगड गया था। इसी बात पर राजाराम, रंगलाल

व चैनसिंह से उसकी कहासुनी हो गयी थी। उन दिनों में उसके गांव के मौरसिंह, देवचन्द, मांगीलाल, बापुलाल, रामप्रसाद, हरलाल, लालसिंह के कन्डे, घास व लकडियों में किसी ने आग लगा दी थी तो उसने शक के आधार पर राजाराम आदि के खिलाफ रिपोर्ट करायी थी। उसने व उसके गांव वालों ने किसी को आग लगाते हुए नहीं देखा था। उसे राजाराम वगैराह ने कोई धमकी नही दी और ना कोई कोई रूपयो की मांग की। उसने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवायी थी, जो प्रदर्श पी० 01 है। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी० 02 है। नक्शामौका प्रदर्श पी 03 व पी० 04 हैं, जिन पर उसकी अंगुठा निशानी है। उक्त गवाह को अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि राजाराम, रंगलाल व चैनसिंह ने रिश्ता बिगडने के कारण उससे झगडे राशि में नौ लाख रूपये की मांग की हो व धमकी दी हो कि अगर रूपये नहीं दिये तो तुम्हारे गांव में आगजनी करेंगे एवं उसने व उसके परिवार वालों ने रंगलाल, राजाराम व चैनसिंह को गांव में आग लगाते देखा हो और इन लोगों ने वहां पर झगडे की राशि अदा करने बाबत चिटठी भी छोडी हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी० 16 का ए से बी भाग "अब मैं... कर दिया है" को लिखाये जाने से इंकार किया है। उक्त गवाह ने राजीनामा होना भी स्वीकार किया है।

12. गवाह पी.ड.02 हरलाल ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह लालसिंह को जानता है, जो उसके गांव का है। लालसिंह की लड़की की सगाई राजाराम तंवर निवासी पातालापानी से हुई थी तथा रंगलाल के भाई चैनसिंह की लड़की की सगाई पप्पू से की थी। बाद में इनके सगाई बिगड गई थी जिसके बाद लालसिंह उसकी लड़की की शादी छुवाडिया में तय कर दी। इसी बात से नाराज होकर रंगलाल और उसके साथ वालों ने उसके गांव में कई जगह आग लगा दी थी। उसके सुखले में भी आग लगा दी थी जिससे सभी के नुकसान हुआ। रंगलाल झगड़ा मांग रहा था इसलिए आग लगाई थी। रंगलाल, चैनसिंह और 4-5 भाई थे जिन्होंने आग लगाई थी। उसने आग लगाते हुए नहीं देखा, लेकिन मौके पर कागज मिला था जिसमें दोबारा आग लगाने की बात लिखी थी। उक्त गवाह को अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि उसने व गांव वालों ने मौके पर रंगलाल, चैनसिंह, राजाराम को आग लगाकर भागते हुए देखा हो तथा भागते-भागते उन्होंने धमकी दी कि झगड़े

के नौ लाख रूपये नहीं मिले तो और आग लगा देंगे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 15 का ए से बी भाग को लिखाये जाने से इंकार किया है।

13. गवाह पी.ड.04 रामप्रसाद ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 6-7 साल पहले उसके खेत पर पड़ी लकडियों में तथा गांव के मोरसिंह, देवचन्द, मांगीलाल, बापुलाल, हरलाल व लालसिंह के कन्डे, घास आदि में किसी ने आग लगा दी थी। आग किसने लगाई उसे जानकारी नहीं है एवं आग लगाते हुये किसी को नहीं देखा। उक्त गवाह को अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि राजाराम, रंगलाल व चैनसिंह ने रिश्ता बिगडने के कारण लालसिंह से झगडे राशि में नौ लाख रूपये की मांग की हो व धमकी दी हो कि अगर रूपये नहीं दिये तो तुम्हारे गांव में आगजनी करेंगे एवं उसने व लालसिंह के परिवार वालों ने रंगलाल, राजाराम व चैनसिंह को गांव में आग लगाते देखा हो और इन लोगों ने वहां पर झगडे की राशि अदा करने बाबत चिटठी भी छोडी हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी0 17 का ए से बी भाग "अब लालसिंह......कर देखा था" को लिखाये जाने से इंकार किया है। उक्त गवाह ने भी राजीनामा होना स्वीकार किया है।

14. गवाह पी.ड.05 बापूलाल ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह लालसिंह को जानता है, जो उसके गांव का है। लालसिंह ने उसकी लडकी की सगाई राजाराम के यहां की थी तथा चेनसिंह ने उसकी लड़की की सगाई, लालसिंह के लडके से की थी। बाद में इनका रिश्ता बिगड गया था। आज से लगभग 6 साल पहले उसके घास व सूखले में एवं रामप्रसाद की लकड़ीयो में देवचंद के चारे मे, हरलाल के सूखे में, मांगीलाल के कंडो में, मारेसिंह के सूखले में व मांगीलाल के कंडे में आग लगा दी थी। आग किसने लगाई उसे पता नहीं है। उसने आग लगाते हुए किसी को नहीं देखा। उक्त गवाह को अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि उसके व उसके गांव वालों के चारा, लकडी, कंडे आदि में आग राजाराम, रंगलाल व चैनसिंह ने लगाई हो एवं आग लगाते हुए उसने व गांव वालो ने देखा हो और पकडने की कोशिश की हो, तो उन्होने भागते हुए कहा हो कि झगडे के नौ लाख रूपए दिला देना, वरना रोड आग लगाएगे। पुलिस बयान प्रदर्श पी० 18 का ए से बी भाग "लालसिंह भागते देखा था" को लिखाये जाने से इंकार किया है।

15. गवाह पी.ड.07 बापूलाल ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि फर्द नक्शा प्रदर्श पी० 03 व पी० 04 पर उसकी अंगुठा निशानी हैं। पुलिस ने आज से लगभग 6-7 साल पहले उसके सामने नक्शामौका नहीं बनाया। उक्त गवाह को अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि पुलिस ने उसके सामने घटना का नक्शामौका बनाया हो।

16. गवाह पी.ड.08 मांगीलाल ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि पुलिस ने आज से लगभग 6-7 साल पहले नक्शामौका प्रदर्श पी03 व पी04 उसके सामने बनाया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

17. उल्लेखनीय है कि प्रकरण के परिवादी/गवाह पी.ड.03 लालसिंह ने उसके न्यायालय में लेखबद्ध किये गये बयानों में अभियुक्त द्वारा धमकी देकर किसी प्रकार से रूपयों की मांग करने के संबंध में स्पष्ट रूप से मना किया है तथा पक्षद्रोही रहा है। इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण गवाहन पी.ड.02 हरलाल, पी.ड.04 रामप्रसाद, पी.ड.05 बापूलाल, पी.ड.06 देवचन्द सभी पक्षद्रोही रहे हैं तथा अभियुक्त राजाराम को आग लगाते हुए देखने या किसी प्रकार का नुकसान कारित करते हुए देखने से स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं। इस प्रकार प्रकरण के परिवादी, पीडित गवाहान द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है, जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है।

18. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा जो समस्त साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उससे यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने दिनांक 22.04.2018 को रात्रि 11-12 बजे के लगभग माल/मौजा राजपुरा में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी लालसिंह को उद्दापन कारित करने के लिए झगडा राशि नौ लाख रूपये की मांग की धमकी देकर क्षति पहुंचाने के भय में डाला एवं परिवादी के गांव वालों के घास, सुखले, कन्डे, लकडियों आदि में आग लगाकर नुकसान कारित करने के आशय से सौ रूपये या उससे अधिक की रिष्टि कारित की हो। अतः अभियुक्त राजाराम आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 435, 385/34 भा०दं०सं० के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--आदेश--

19. अतः अभियुक्त राजाराम पुत्र रंगलाल उम्र 29 वर्ष निवासी पातला पानी पुलिस थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ (राज.) को आरोपित अपराध

अन्तर्गत धारा 435, 385/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

20. अभियुक्त के द्वारा धारा 437(ए) द्र.प्र.सं. के तहत 10,000/- रूपये का जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका 6 माह की अवधि के लिए इस शर्त के साथ पेश कर तस्दीक कर तस्दीक करवाये जा चुके है कि प्रकरण में उक्त अवधि में अपील/निगरानी होने पर वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित होगा। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित हाजरी बाबत् पूर्व में पेशशुदा जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

21. प्रकरण में सहअभियुक्तगण रंगलाल पुत्र गोपीलाल एवं चैनसिंह पुत्र गोपीलाल, निवासीगण पातला पानी पुलिस थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ (राज.) की फौत हो जाने से उनके विरूद्ध क्रमशः दिनांक 20.12.2023 व दिनांक 15.01.2022 को कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है।

(शारिक हुसैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

22. निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित, मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(शारिक हुसैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

प्रमाण पत्र

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MOHAN SONI

Steno Gr. II
"Authenticate document"
Digitally signed by MOHAN SONI
Date: 2026.03.10 13:12:20 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।